I. वे बच्चों के प्रथम प्रवेश के कोई कैपिटेशन फीस नहीं ले तथा बच्चों या उसके अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लें।

II. बच्चे के माता–पिता के शैक्षणिक योग्यता बच्चों के प्रवेश का आधार नहीं हो सकेगा।

III. प्रत्येक विद्यालय अपने प्रवेश के संबंध में एक नीति बनाएगी तथा इस नीति से जन साधारण को अवगत कराएगी तथा इसका उल्लेख उनके विवरणिका (PROSPECTUS) में होगा।

IV. बच्चों का प्रवेश विद्यालयों में यादृच्छिक प्रणाली (Random Method) से किया जाएगा।

V. अगर किसी विद्यालय के द्वारा प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित कर लिया गया हो तो इसके आधार पर की जाने वाली प्रवेश प्रक्रिया को रद्द किया जाना विद्यालय की बाध्यता होगी।

VI. अगर किसी विद्यालय के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट का आयोजन प्रस्तावित किया गया हो तब विद्यालय द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम को तत्काल स्थगित किया जाना है।

VII. विद्यालय के प्रबंधकों को यह भी अवगत कराया जाए कि अधिनियम के इस विषयक प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय है तथा स्क्रीनिंग टेस्ट के मामले में प्रथम उल्लंघन के लिए 25 हजार रूपये का आर्थिक दण्ड तथा द्वितीय एवं बाद के उल्लंघन के लिए 50 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड देना होगा। कैपिटेशन फीस लेने पर ली गई राशि का 10 गुणा दंड स्वरूप देय होगा।

उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि अधिनियम के प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन
ह० 15/5/10
(प्रधान सचिव)
मानव संसाधन विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 493 / स्थापना, दिनांक 18/3/11

प्रतिलिपि :- जिले में अवस्थित सी०बी०एस०ई०/आई०सी०एस०ई० मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त पत्र में दिये गये निदेश का अनुपालन किया जाय।

ह० 18/3/11
जिला शिक्षा पदाधिकारी
[illegible] 18/3/11

ज्ञापांक 493 / स्थापना, दिनांक 18/3/11

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, [illegible] की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह० 18/3
जिला शिक्षा पदाधिकारी
[illegible] 18/3/11